भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2259 का उत्तर

अंगमाली-सबरीमाला रेलवे परियोजना

2259. श्री बैन्नी बेहनन:

एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे संपर्क की कमी वाले क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए प्राथमिक दिशानिर्देश और तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अंगमाली-सबरीमाला (सबरी) रेलवे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भूमि अधिग्रहण, निर्माण प्रगति और धन आवंटन के संदर्भ में परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सबरी रेलवे परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सबरी रेलवे परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती

हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों, क्षेत्रीय संपर्कता में कमी आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। परियोजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदनों यथा नीति आयोग, वित्त मंत्रालय के मूल्यांकनों आदि की आवश्यकता होती है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए की लागत पर 44,488 कि.मी. कुल लंबाई की 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 अमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरणों में हैं, जिनमें से 12,045 कि.मी. लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इस कार्य की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

भारतीय रेल पर नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कमीशन किए गए कुल रेलपथ	नए रेलपथों को कमीशन किए जाने का औसत
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रति दिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी. प्रति दिन (2 गुना से अधिक)

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं के क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरे भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं।

एरुमेली के रास्ते अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन परियोजना को वर्ष 1997-98 में मंजूरी दी गई थी। अंगमाली-कलाड़ी (7 कि.मी.) और कलाड़ी-पेरम्बवूर (10 कि.मी.) पर लंबी गमन दूरी का कार्य शुरू किया गया था। हालांकि, भूमि अधिग्रहण और लाइन के संरेखण को ठीक करने के विरुद्ध स्थानीय जनता का विरोध प्रदर्शन, परियोजना के विरुद्ध दर्ज न्यायिक मामलों और केरल राज्य सरकार से अपर्याप्त समर्थन के कारण इस परियोजना पर कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

परियोजना की अनुमानित लागत को केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल) द्वारा 3801 करोड़ रुपए पर अद्यतन किया गया है और इसे दिसंबर, 2023 में अनुमानित लागत की स्वीकृति और परियोजना की लागत साझा करने की सहमति के लिए केरल सरकार को प्रस्तुत किया गया। केरल राज्य सरकार ने अगस्त, 2024 में कुछ शर्तों के साथ परियोजना की लागत साझा करने की सहमति प्रकट की है। रेलवे द्वारा केरल राज्य सरकार से लागत साझा करने के लिए बिना शर्त सहमति देने का अनुरोध किया गया है। केरल राज्य सरकार से राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का भी अनुरोध किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 55 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किया गया बजट आबंटन इस प्रकार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रुपए/वर्ष
2024-25	3,011 करोड़ रुपए (8 गुना से अधिक)

हालांकि निधि आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन की गति त्वरित भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है और रेल परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। हालांकि, केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यों की स्थिति इस प्रकार है:

केरल राज्य में परियोजनाओं के लिए आवश्यक कुल भूमि	476 हेक्टेयर
अधिग्रहीत की गई भूमि	66 हेक्टेयर (13%)
अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि	410 हेक्टेयर (87%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, हालांकि सफलता केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। रेलवे ने केरल राज्य सरकार को चालू परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु 2111.83 करोड़ रुपए जमा किए हैं।

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए केरल राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य

सरकार द्वारा लागत का हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जन सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल (स्थलों) के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु अवस्थाओं के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

*****